कार्यालय जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर (राज.)

क्रमांकः– रसद/प्राधिकार/2025/ 835 दिनांकः– 24/07/2025

विज्ञप्ति

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु जारी दिशा–निर्देश दिनांक 17.03.2016 एवं उचित मूल्य दुकानों की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने संबंधी पत्र दिनांक 25.11.2020 की पालना में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के अनुमोदन उपरान्त डूंगरपुर जिले की 27 रिक्त एव 25 नवसृजित कुल 52 उचित मूल्य दुकानों का आवंटन करने के लिए पात्र आवेदको से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है।

योग्यताः–

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है। अर्थात उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड्स मे से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य की दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जाएगी जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है। उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदको की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए अर्थात उचित मूल्य के आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2- आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर में Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। यदि उचित मूल्य की दुकानो के आवेदको में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदको के प्रार्थना–पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह घोषणा भी ली जावेगी कि वह चयनित होने के 06 माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा। ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकार–पत्र दिया जावेगा।

3- उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित 02 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात 02 से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य

Signature valid

Digitally signed by Mani Khinchi
Designation: District Supply Officer
Date: 2025.07.24 1?:08:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16761088
eSign 1.0

Scanned with CamScanner

दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार–पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्वातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संताने पैदा हो जाती है, तो संतानो की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानो को एक इकाई ही समझा जावेगा।

4. राज्य सरकार द्वारा टीएसपी क्षेत्र हेतु 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति, 05 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति एवं 50 प्रतिशत स्थान अनारक्षित रखे जाने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही सभी श्रेणियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे गए है। आरक्षित उचित मूल्य दुकानों के लिए संबंधित श्रेणी का आवेदक ही आवेदन हेतु पात्र होगा।
5. एक ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को एक उचित मूल्य की दुकान के लिए ही प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकेगा। जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों/लेम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा पूर्व में उचित मूल्य दुकान के लिए प्राधिकार पत्र प्राप्त किया है, वे आवेदन हेतु पात्र नहीं होगा।

आवेदन का तरीका :–

1. आवेदन पत्र दिनांक 28.07.2025 से 26.08.2025 तक कार्यालय समय में जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर से प्राप्त किए जा सकेगे। आवेदन पत्र का मूल्य 100 रूपये निर्धारित किया गया है, जो भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) के द्वारा जमा करवाया जा सकेगा। किसी अन्य स्थान यथा टाइपिस्ट, नोटरी, बुक स्टॉल से प्राप्त किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जावेंगे।
2. भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 29.08.2025 को सांय 06:00 बजे तक जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर में प्रस्तुत किए जा सकेगे।

<u>आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज</u> :–

1. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।
2- आरकेसीएल (आरएस–सीआईटी) कम्प्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र। उक्त प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में शपथ पत्र संलग्न करना होगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि दुकान आवंटन होने के 08 माह के भीतर आरकेसीएल (आरएस–सीआईटी) का 03 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
3. आवेदक सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत होने की स्थिति में उसके प्रबंधक/सचिव की शैक्षणिक योग्यता/कम्प्यूटर दक्षता संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
4. आवेदक सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत होने की स्थिति में संबंधित बोर्ड की अभिशंषा का पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. निजी आवेदको के लिए 01 लाख रूपये का हैसियत प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा, जो

Signature valid

Digitally signed by Mani Khinchi
Designation: District Supply Officer
Date: 2025.07.24 1?:08:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
16761088
eSign 1.0

Scanned with CamScanner

संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी किया जाएगा।

6. महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25 हजार रूपये होने संबंधी प्रमाण–पत्र की प्रति।
7. सहकारी समितियों को हैसियत प्रमाण पत्र के स्थान पर वित्तीय हैसियत के संबंध में उनकी अंश पुजी एवं कार्यशील पुजी का विवरण, वार्षिक कुल राशि का विवरण, विगत दो वित्तीय वर्ष एवं चालु वर्ष के बैक खाते का स्टेटमेन्ट के साथ ही सहायक पंजियक/उप पंजियक की यह अभिशंषा संलग्न करनी होगी की समिति की वित्तीय हैसियत 100000 रूपये है और समिति की गत 03 वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट में गंभीर अनियमितता नही है।
8. प्रस्तावित दुकान का नक्सा (ब्लू प्रिन्ट) दो प्रतियों मे।
9. निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र।
10. मूल निवास प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।
11. जाति प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।
12. आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति।
13. राशनकार्ड की प्रमाणित प्रति।
14. मतदाता परिचय पत्र की प्रमाणित प्रति।
15. पासपोट साईज के 03 नवीनतम फॉटो, जिनमें एक आवेदन पत्र पर चस्पा किया जावेगा एवं दो संलग्न किये जावेंगे।
16. आवेदक महिला होने की स्थिति में विवाह पंजियन की प्रमाणित प्रति।

चयन प्रक्रिया एवं प्राथमिकता :–

आरक्षित स्थानो के लिए संबंधित श्रेणी का आवेदक ही पात्र होगा। अनारक्षित (सामान्य) स्थानों में चयन करने में प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगाः–

प्रथम वरीयता :–

1. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है।
2. महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को 03 वर्ष का कार्यानुभव हो, कम से कम 03 वर्ष पूर्व बैक खाता खुला हो, समूह के सदस्य 03 वर्षो से आन्तरिक लेन देन संलग्न हो।
3. ग्राम पंचायत/निगमित निकाय।

द्वितीय वरीयता :–

1. दिव्यांग (बेरोजगार) –
2 भूतपूर्व सैनिक (बेरोजगार)
3 अन्य पात्र बेरोजगार

Signature valid

Digitally signed by Man Khinchi
Designation: District Supply Officer
Date: 2025.07.24 1?:08:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
16761088

eSign 1.0

Scanned with CamScanner

नोटः– आरक्षित श्रेणी की उचित मूल्य की दुकानो के लिए चयन का आधार द्वितीय वरीयता के अनुसार रहेगा। इसके लिये संस्थागत आवेदक पात्र नही होगें। यदि किसी उचित मूल्य की दुकान के लिए एक ही आवेदन प्राप्त होता हैं, तो उसे प्राधिकार–पत्र जारी किया जा सकेगा। 2 या 2 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जावेगी।

रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	उचित मूल्य दुकान का नाम	रिक्त / नवसृजित	रिक्त है तो पोस कोड	तहसील	श्रेणी
1	गैड	रिक्त	5868	बिछीवाडा	अजजा
2	लाम्बाभाटडा	रिक्त	5862	बिछीवाडा	अजा
3	चुण्डावाडा	रिक्त	25189	बिछीवाडा	अनारक्षित (महिला)
4	मोदर	रिक्त	5864	बिछीवाडा	अजजा
5	बिछीवाडा	रिक्त	5871	बिछीवाडा	अनारक्षित
6	धामोद	रिक्त	25196	बिछीवाडा	अजजा
7	खजुरी भाग तृतीय (पुनरावाडा)	नवसृजित	–	बिछीवाडा	अजजा (महिला)
8	बिछीवाडा भाग द्वितीय	नवसृजित	–	बिछीवाडा	अजजा
9	शिशोद भाग द्वितीय (गरदुना)	नवसृजित	–	बिछीवाडा	अनारक्षित
10	पाल पादर भाग तृतीय	नवसृजित	–	बिछीवाडा	अजजा (महिला)
11	न. प. वार्ड नम्बर 16	रिक्त	17791	डूंगरपुर	अजजा
12	न. प. वार्ड नम्बर 21	रिक्त	29131	डूंगरपुर	अजजा
13	न. प. वार्ड नम्बर 09	रिक्त	17781	डूंगरपुर	अनारक्षित
14	न. प. वार्ड नम्बर 10	रिक्त	17783	डूंगरपुर	अनारक्षित
15	डेडको का वैला	रिक्त	28711	डूंगरपुर	अनारक्षित
16	भटवाडा	रिक्त	5490	डूंगरपुर	अजजा
17	भाटपुर	रिक्त	5503	डूंगरपुर	अजजा
18	पालवडा	रिक्त	28729	पाल देवल	अनारक्षित (महिला)
19	टाडी औबरी भाग द्वितीय (नलवा)	नवसृजित	–	पाल देवल	अजा
20	पाल देवल भाग द्वितीय	नवसृजित	–	पाल देवल	अनारक्षित
21	कहारी भाग द्वितीय	रिक्त	25141	दौवडा	अनारक्षित
22	वस्सी भाग तृतीय	नवसृजित	–	दौवडा	अनारक्षित
23	सगवढ भाग द्वितीय	नवसृजित	–	दौवडा	अजजा

Signature valid -अजजा

Digitally signed by Mani Khinchi
Designation: District Supply Officer
Date: 2025.07.24 1[illegible]:08:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 16761088
eSign 1.0

Scanned with CamScanner

24	डोजा भाग द्वितीय	नवसृजित	—	दौवडा	अजा (महिला)
25	वाडा घोडिया	रिक्त	5579	आसपुर	अनारक्षित
26	बडौदा भाग द्वितीय	रिक्त	25637	आसपुर	अजजा
27	गलियाण	रिक्त	5634	आसपुर	अनारक्षित
28	बौसी	रिक्त	5609	साबला	अजजा
29	रिछा भाग प्रथम	रिक्त	5600	साबला	अजजा
30	रिछा भाग द्वितीय	रिक्त	5601	साबला	अजजा
31	सोलंज	रिक्त	27536	साबला	अनारक्षित
32	बोडीगामा बडा	रिक्त	25638	साबला	अजजा
33	पाल निठाउवा भाग द्वितीय	नवसृजित	—	साबला	अनारक्षित(महिला)
34	वालई भाग तृतीय	नवसृजित	—	साबला	अजजा
35	म्याला भाग तृतीय	नवसृजित	—	साबला	अजजा
36	निठाउवा भाग द्वितीय	नवसृजित	—	साबला	अनारक्षित
37	मुंगेड भाग तृतीय	नवसृजित	—	साबला	अनारक्षित
38	चारवाडा	रिक्त	5892	झौथरी	अनारक्षित
39	रेटा भाग द्वितीय (जुडा उपला फला)	नवसृजित	—	झौथरी	अनारक्षित
40	मेदला (शिथल)	रिक्त	30888	सीमलवाडा,	अनारक्षित
41	बांसिया भाग द्वितीय	रिक्त	5753	सीमलवाडा,	अनारक्षित
42	गडा गोकल भाग द्वितीय (सरोली)	नवसृजित	—	सीमलवाडा,	अनारक्षित
43	झरनी भाग द्वितीय (ढेचरा भगत)	नवसृजित	—	सीमलवाडा,	अजजा
44	चाडौली भाग द्वितीय	नवसृजित	—	सीमलवाडा,	अनारक्षित
45	मालाखोलडा भाग द्वितीय (खार)	नवसृजित	—	चिखली	अजजा
46	नई बस्ती बडगामा भाग द्वितीय (आम्बा फला)	नवसृजित	—	चिखली	अनारक्षित
47	गुलंदारा भाग द्वितीय	नवसृजित	—	चिखली	अनारक्षित
48	साकोदरा भाग द्वितीय	नवसृजित	—	चिखली	अजजा
49	जालुकुआ भाग द्वितीय (कोडियागुण)	नवसृजित	—	गामडी अहाडा	अनारक्षित
50	टामटिया भाग द्वितीय	नवसृजित	—	सागवाडा	अनारक्षित
51	बुचिया बडा भाग द्वितीय (घोडाफला)	नवसृजित	—	सागवाडा	अजजा (महिला)
52	न.पा.सा. वार्ड नम्बर 10	रिक्त	17937	सागवाडा	अजजा

Signature valid

Digitally signed by Mani Khinchi
Designation: District Supply Officer
Date: 2025.07.24 1?:08:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
16761088
eSign 1.0

Scanned with CamScanner

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक एफ 17 (1)खा.वि/विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा–निर्देश एवं उचित मूल्य दुकानों की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने संबंधी पत्र दिनांक 25.11.2020 में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जानी है। दिनांक 17.03.2016 के दिशा–निर्देश, दिनांक 25.11.2020 के पत्र तथा नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर और विभागीय वेबसाईट www.food.rajasthan.gov.in एवं जिले की वेबसाईट https://dungarpur.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

जिला रसद अधिकारी
डूंगरपुर

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदया, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर।
3. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, डूंगरपुर
4. एसीपी महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
5. उपखण्ड अधिकारी महोदय, समस्त, जिला डूंगरपुर
6. उप निदेशक महोदया, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग डूंगरपुर को प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. संयुक्त निदेशक महोदय, सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग डूंगरपुर को जिले के वेब पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

जिला रसद अधिकारी
डूंगरपुर

RajKaj Ref No.:
16761088
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Mani Khinchi
Designation: District Supply Officer
Date: 2025.07.24 1?:08:24 IST
Reason: Approved

Scanned with CamScanner